

**कार्यालय कलेक्टर जिला-राजनांदगांव एवं पदेन उप सचिव**  
**छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
**//अधिसूचना//**

क्रमांक/7981/भू-अर्जन/2020

राजनांदगांव, दिनांक 21/12/2020

प्र.क्र. 20 अ-82/2017-18, चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की टाटेकसा-खैरी मार्ग पर स्थित टाटेकसा नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची**


(1) भूमि का वर्णन :-

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| (क) जिला      | :- राजनांदगांव  |
| (ख) तहसील     | :- अंबागढ़ चौकी |
| (ग) नगर/ग्राम | :- केसालडबरी    |
| (घ) क्षेत्रफल | :- 0.325 हे०    |

क्रं.	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
1	4/1	0.325
योग :-	01	0.325

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला में किया जा सकता है।
- (3) उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

  
( टोपेश्वर वर्मा )

कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव  
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

  
D/P/2020

क्रमशः

पृ० क्रमांक/7981 / भू-अर्जन/2020  
प्रतिलिपि:-

राजनांदगांव, दिनांक 21 / 12 / 2020

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को जिले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
2. इसकी एक प्रति – उपनियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय प्रकाशन मुद्रणालय तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़, राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग – 1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
3. इसकी एक प्रति – कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया उक्त अधिसूचना/घोषणा का प्रकाशन शासन के निर्देशानुसार स्थानीय दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में करवाना सुनिश्चित करें। उक्त अधिसूचना/ घोषणा के प्रकाशन के तत्काल बाद संबंधित छत्तीसगढ़ राजपत्र एवं दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू- अर्जन अधिकारी, मोहला के न्यायालय स्थित भू- अर्जन प्रकरण में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4. इसकी 10 प्रतियां तहसीलदार अं०चौकी को प्रकाशन की तामिली एवं प्रतिवेदन हेतु अग्रेषित। (प्रत्येक स्थान के लिए पृथक पृथक दो प्रतियों का सेट)  
कृपया उपरोक्त प्रारूप अधिसूचना/घोषणा में उल्लेखित सरकार के आशय/ प्रयोजन से संबंधित ग्राम में मुनादी द्वारा ढोल पिटवाकर मौके के दो गवाहों के सम्मुख निम्न स्थान पर एक प्रति चस्पा करें तथा शेष एक प्रति मय प्रतिवेदन के जारी दिनांक से 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू- अर्जन अधिकारी मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय भेजने का कष्ट करें।
  1. तहसील कार्यालय अं०चौकी का नोटिस बोर्ड।
  2. संबंधित थाना चिल्हाटी का नोटिस बोर्ड।
  3. संबंधित ग्राम पंचायत टाटेकसा के कार्यालय का नोटिस बोर्ड।
  4. संबंधित ग्राम केसालडबरी का आम चौराहा या प्रसिद्ध स्थान।
  5. संबंधित ग्राम केसालडबरी स्थित प्रश्नगत भूमि का मौका।

( टोपेश्वर वर्मा )

कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव  
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

15/12/2020

**कार्यालय कलेक्टर जिला-राजनांदगांव एवं पदेन उप सचिव**  
**छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
**//अधिसूचना//**

क्रमांक/7980 /भू-अर्जन/2020

राजनांदगांव, दिनांक 21/12/2020

प्र.क्र. 19 अ-82/2017-18, चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की टाटेकसा-खैरी मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल मय गहुंच मार्ग निर्माण के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला :- राजनांदगांव  
(ख) तहसील :- अंबागढ़ चौकी  
(ग) नगर/ग्राम :- टाटेकसा  
(घ) क्षेत्रफल :- 0.316 हे०

क्रं.	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
1	164/6	0.045
2	164/5	0.057
3	164/8	0.113
4	166/1	0.101
योग :-	04	0.316

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला में किया जा सकता है।  
(3) उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

( टोपेश्वर वर्मा )

कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव  
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमशः



पृ० क्रमांक / 7980 / भू-अर्जन / 2020  
प्रतिलिपि:-

राजनांदगांव, दिनांक 21 / 12 / 2020

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को जिले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
2. इसकी एक प्रति - उपनियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय प्रकाशन मुद्रणालय तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़, राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग - 1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
3. इसकी एक प्रति - कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया उक्त अधिसूचना/घोषणा का प्रकाशन शासन के निर्देशानुसार स्थानीय दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में करवाना सुनिश्चित करें। उक्त अधिसूचना/घोषणा के प्रकाशन के तत्काल बाद संबंधित छत्तीसगढ़ राजपत्र एवं दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के न्यायालय स्थित भू-अर्जन प्रकरण में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4. इसकी 10 प्रतियां तहसीलदार अं०चौकी को प्रकाशन की तामिली एवं प्रतिवेदन हेतु अग्रेषित। (प्रत्येक स्थान के लिए पृथक पृथक दो प्रतियों का सेट)  
कृपया उपरोक्त प्रारूप अधिसूचना/घोषणा में उल्लेखित सरकार के आशय/प्रयोजन से संबंधित ग्राम में मुनादी द्वारा ढोल पिटवाकर मौके के दो गवाहों के सम्मुख निम्न स्थान पर एक प्रति चस्पा करें तथा शेष एक प्रति मय प्रतिवेदन के जारी दिनांक से 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय भेजने का कष्ट करें।
  1. तहसील कार्यालय अं०चौकी का नोटिस बोर्ड।
  2. संबंधित थाना चिल्हाटी का नोटिस बोर्ड।
  3. संबंधित ग्राम पंचायत टाटेकसा के कार्यालय का नोटिस बोर्ड।
  4. संबंधित ग्राम टाटेकसा का आम चौराहा या प्रसिद्ध स्थान।
  5. संबंधित ग्राम टाटेकसा स्थित प्रश्नगत भूमि का मौका।

( टोपेश्वर वर्मा )

कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव  
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

17/12/2020